न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :– 30.5.2022

-रीडर/ 2022/ 546

मुकदमा नंबर 200/2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राऊराम पुत्र गुणाराम 2. चिमाराम पुत्र गुणाराम 3. जालाराम पुत्र गुणाराम 4. भंवराराम पुत्र गुणाराम 5. पपुराम उर्फ जीयाराम पुत्र गुणाराम 6. लिखमाराम पुत्र दलाराम 7. अचलाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी भाखरीखेडा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. धर्माराम पुत्र नारणाराम 2. जोगाराम पुत्र नाराणाराम 3. हस्ताराम उर्फ हरचंदराम पुत्र नारणाराम 4. जालाराम पुत्र गिरधारीराम 5. हीरसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति राजपूत भाखरीखेडा 6. कमलादेवी पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासी कालूडी 7. नेनूदेवी पत्नी खेताराम जाति जाट नि0 भाखरीखेडा 8. मांगीलाल पत्नी खेताराम जाति जाट नि0 भाखरीखेडा, तह0 पचपदरा 9. अचलाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी भाखरीखेडा, तह0 पचपदरा 10. राजस्थान राज्य भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

आदेश **दिनाक :– 30.6.2022**

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा भाखरीखेडा पटवारी क्षेत्र टापरा, भू–निरीक्षक जसोल तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 165/15 रकबा 80 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:43:28 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 547 दिनांक

प्रतिलिपि :– तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय प[illegible]मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा